रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 3 अप्रैल, 1980/14 चैत्र, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 फरवरी, 1980

नं0-14-7/74-पी0डब्ल्यू-(बी).—हिमाचल प्रदेश राज भाषा अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निदेश दिये हैं कि प्रथम जून, 1979 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले समस्त नियमों, आदेशों, विनियमों तथा उप-नियमों में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जायेगा।

इसके साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 6, 1974) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, सम्मति नियम, 1979 हिन्दी में बनाये हैं;

तथा चूंकि उक्त नियमों का प्रमाणित अंग्रेजी रूप राज्यपाल के प्राधिकार के अधीन हिमाचल प्रदेश राजपत्र प्रकाशित में किया जाना अपेक्षित है;

अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उसे इस सम्बन्ध में दी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जन-साधारण की सूचना हेतु हिमाचल प्रदेश जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) सम्मति नियम, 1979 का अनुवाद निम्न रूप से सहर्ष प्रकाशित करते हैं:--

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.--(*i*) ये नियम हिमाचल प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण (सम्मति) नियम, 1979 कहलायेंगे ।

(*ii*) ये नियम "हिमाचल प्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगें।

2. परिभाषाएं.--इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:--

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) है;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्राय धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य जल दूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड है;

(ग) "धारा" से अभिप्राय अधिनियम की धारा है ;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्राय बोर्ड का अध्यक्ष है ;

(ङ) "सदस्य सचिव" से अभिप्राय बोर्ड का सदस्य सचिव है ;

(च) "सदस्य" से अभिप्राय सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड का सदस्य है;

(छ) "सम्मति" से अभिप्राय निश्राव के निस्सारण के लिये बोर्ड के प्राधिकारी की मंजूरी है ।

(ज) "सम्मति फीस" से अभिप्राय बोर्ड द्वारा सम्मति दिये जाने के लिये बोर्ड द्वारा प्रभारित फीस है ;

(झ) "धन नियोजन" से अभिप्राय पूंजीगत निर्माण कार्य, जिसमें भूमि, मशीनें तथा उपकरण सम्मिलित है, पर उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी है ।

(ञ) "लाईसेंस फीस" से अभिप्राय किसी सरिता य, कुएं में मल या व्यापार निस्त्रान के निस्सारण के लिए बोर्ड को प्रति वर्ष दी जाने वाली लाईसेंस फीस हैं।

3. प्रक्रिया.--कोई भी व्यक्ति, जो किसी सरिता या कुएं में मल या व्यापार निस्त्राव का निस्सारण करता हो, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, शिमला को इन नियमों से संलग्न फार्म--XIII में आवेदन-पत्र देगा ।

4. बोर्ड द्वारा निवारण एवं नियंत्रण--(*i*) विद्यमान उद्योगों के मामले में व्यक्ति अपने परिसर, जहां निस्त्राव उत्पन्न होता हो, की समस्त विशिष्टियां देते हुए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा/करेंगे। अधिनियम में बोर्ड के गठन से 3 माह के भीतर ऐसा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना विहित है। इस समय सीमा में बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर वृद्धि की जा सकती है।

(*ii*) विद्यमान सुविधाओं में सुधार लाने के मामले में, व्यक्ति बोर्ड की सम्पति के लिये आवेदन-पत्र देगा/देंगे जोकि नया आवेदन-पत्र माना जायेगा।

(*iii*) नये निस्सारणों के मामले में, व्यक्ति अपना आवेदन-पत्र व्यवस्था किए जाने वाले साधित्रों तथा आशिष्ट-शोधन सुविधाओं डिजाइनों के साथ-साथ सम्मति फार्मों में उपदर्शित विनिर्माण प्रक्रियाओं आदि को विशिष्टियां देते हुए प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

(*iv*) आवेदन पत्र के फार्म हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, शिमला के कार्यालय से 5 रुपये फीस अदा कर के प्राप्त किये जा सकते हैं।

(*v*) आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार विहित सम्मति फीस सम्यक रूप से दी जानी चाहिए:--

निम्नलिखित विनिधान वाले उद्योग:--	रुपये
(1) 5 करोड़ रुपये से अधिक	10,000
(2) 1 करोड़ रुपये से अधिक, किन्तु 5 करोड़ रुपये से कम	5,000
(3) 50 लाख रुपये से अधिक, किन्तु एक करोड़ रुपये से कम	2,500
(4) 10 लाख रुपये से अधिक, किन्तु 50 लाख रुपये से कम	1,000
(5) 1 लाख रुपये से अधिक, किन्तु 10 लाख रुपये से कम	500
(6) न्यूनतम फीस	300

(*vi*) बोर्ड को आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाने पर बोर्ड को प्रस्तावित स्थल या विद्यमान स्थल का परीक्षण करने तथा ऐसे कोई ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए कहने का अधिकार होगा, जो आवेदन-पत्र में विस्तार से न दिये गये हों।

(*vii*) वह तिथि, जिसको कि आवेदन-पत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी बोर्ड को प्राप्त हो जाये, अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (7) के प्रयोजनार्थ 4 माह की कालावधि की गणना के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि होगी।

(*viii*) बोर्ड द्वारा परीक्षण कर लिए जाने पर, आवेदक को इन नियमों से संलग्न अनुसूची में दिए गये फार्म में सशर्त या बिना किसी शर्त के सम्मति प्रदान की जायेगी।

(*ix*) आवेदक बोर्ड द्वारा दी गई सम्मति के अनुरूप कार्य करेगा तथा उसमें दिये गये अनुदेशों का पालन करेगा।

(x) यदि बोर्ड की सम्मति में ऐसी अपेक्षा की गई हो, तो आवेदक उसी के अनुसार नियत कालिक जानकारी तथा अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(xi) जहां सम्मति इस शर्त के अध्यधीन दी जाये कि आवेदक द्वारा निस्त्राव का मानक स्तर के अनुरूप शोधन करने के लिए उपाय किये जायेंगे, तो आवेदक नियत समय के भीतर ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

5. वार्षिक नवीकरण.—(1) बोर्ड को सम्मति सम्बन्धी अपने निर्णय के पुनरीक्षण का अधिकार होगा।

(2) बोर्ड, सम्मति की ऐसी किन्हीं भी विशिष्ट शर्तों में परिवर्तन या उपान्तरण कर सकेगा या सम्मति में कोई भी ऐसी विशिष्ट शर्तें सम्मिलित कर सकेगा, जोकि आवेदक द्वारा कार्यान्वित की जायेगी।

(3) प्राकृतिक सरिताओं को स्वच्छ स्थिति में बनाये रखने के लिए बोर्ड को किन्हीं भी परिसरों का निरीक्षण करने तथा नमूने एकत्र करने का अधिकार होगा।

(4) बोर्ड परिसारों की आकस्मिक जांच भी कर सकेगा और आवेदक ऐसे अधिकारियों को जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निरीक्षणों के दौरान उन द्वारा वांछित सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।

(5) आवेदक निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार बोर्ड को वार्षिक लाईसैंस फीस अदा करेगा:—

	रुपये
(क) निम्नलिखित विनिधान वाले उद्योग:—	
(1) 5 करोड़ रुपये से अधिक	4,000
(2) 1 करोड़ रुपये से अधिक, किन्तु 5 करोड़ रुपये से कम	2,000
(3) 50 लाख रुपये से अधिक, किन्तु एक करोड़ रुपये से कम	500
(4) 10 लाख रुपये से अधिक, किन्तु 50 लाख रुपये से कम	300
(5) 1 लाख रुपये से अधिक, किन्तु 10 लाख रुपये से कम	200
(6) न्यनतम फीस	200

(ख) प्राकृतिक साधनों से जल प्राप्त करने वाले तथा सरिताओं में निस्त्राव का निस्सारण करने वाले स्थानीय निकायों से प्रभारी वार्षिक लाईसेंस फीस निम्न होगी :—

	रुपये
(क) नगर निगम	3,000
(ख) "ए" श्रेणी की नगर पालिकायें	2,000
(ग) "बी" श्रेणी की नगर पालिकाएं	1,000
(घ) अधिसूचित क्षेत्र पालिकायें	500

6. निरीक्षण.--प्राकृतिक सरिताओं में निस्सारित निस्त्राव पर निरन्तर निगरानी रखने की दृष्टि से बोर्ड सरिताओं में निर्धारित स्थानों पर नमूनों की निरन्तर मानीटरिंग (monitoring) करता रहेगा। वे इस प्रकार की आकस्मिक जांच तथा निरीक्षण भी कर सकेंगे तथा आवेदक ऐसे निरीक्षणों के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।

7. आपात परिस्थितियां.- आपात परिस्थिति में जब सरिताओं का जल अचानक खराब हो जाये तो आवेदक बोर्ड से सहयोग करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो अस्थायी उपाय के रूप में सरिताओं में अनुसूचित प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ एक परिचालनों को बन्द कर देगा।

"अनुसूचि"

[नियम-4 (देखिये ii)]

कार्यालय हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, यू0 एस0, क्लब शिमला-171001.

क्रमांक----------शिमला, दिनांक

सम्मति फार्म

विषय:--जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन न निस्त्राव के निस्सारण के लिए----------को सम्मति।

श्री----------के आवेदन/पत्र सं0---------
दिनांक----------(समाप्ति तिथि----------)

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन निस्त्राव को प्राकृतिक जल सारणियों में निस्सारित करने की सम्मति के लिए उक्त आवेदन पत्र के सन्दर्भ में श्री----------को राज्य बोर्ड द्वारा उनके परिसर से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक तथा अन्य निस्त्रावों को परिशिष्ट में यथा-उल्लिखित सामान्य तथा विशेष शर्तों के अनुसार स्थानीय सरिता नदी कुएं में निस्सारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. यह सम्मति दिनांक ----------से प्रारम्भ होकर केवल 12 महीनों की कालावधि के लिए वैध होगी।

दिनांक----------माह----------सन्------

हिमाचल प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा
नियन्त्रण बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
सदस्य-सचिव।

मोहर

सहपत्र----------परिशिष्ट

परिशिष्ट

सर्वश्री----------जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की सम्मति
सं0 ----------संदर्भ पत्र का अनुलग्नक----------
दिनांक----------द्वारा जारी ।

अ0:-- सामान्य शर्तें:

1. समस्त प्राधिकृत निस्सारण इस सम्मति के उपबन्धो तथा शर्तों के अनुरूप होंगे। सुविधा विस्तार, उत्पादन वृद्धियां या प्रक्रिया उपान्तरण जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषकों का निस्सारण नया हो या बढ़ जाये, की सूचना एक नया सम्मति आवेदन-पत्र द्वारा दी जानी चाहिए अथवा यदि ऐसे नए या बढ़े हुए निस्सारण से इस सम्मति में विनिर्दिष्ट निस्त्राव परिसीमाओं का अतिक्रमण नहीं होता हो तो बोर्ड को प्रदूषकों के ऐसे नए या बढ़े हुए निस्सारणों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हुए आवेदन-पत्र दिया जाना चाहिए जिस स्थिति में इसमें विहत तथा प्राधिकृत की गई बारी से अधिकबार अथवा अनुमत तथा प्राधिकृत स्तर से अधिक किसी प्रदूषक का निस्सारण इस सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों का अधिक्रमण समझा जायेगा।

2. सूचना देने तथा सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात बोर्ड द्वारा इस सम्मति को उसकी अवधि के दौरान निम्नलिखित कारणों, से किन्तु उससे सीमित न रहते हुए पूर्णतः अथवा अंशत उपान्तरित निलम्बित अथवा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा :--

(क) इस सम्मति के किन्हीं भी उपबन्धों तथा शर्तों का अतिक्रमण करने पर।
(ख) इस सम्मति को अशुद्ध उपस्थापन द्वारा अथवा सभी सम्बन्धित तथ्यों को पूर्णतः प्रकट न करके, प्राप्त करने पर।
(ग) किसी भी ऐसी शर्त में परिवर्तन जिससे प्राधिकृत निस्सारण का अस्थायी या स्थायी रूप से कम होना या निरसन होना हो।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के होते हुए भी यदि इसमें प्राधिकृत निस्सारण में विद्यमान विषाक्त प्रदूषण (टाक्सिक पोल्युटेंट) के लिए मानक अथवा प्रतिशेष विषक्त निस्त्राव (जिसमें ऐसे मानक अथवा प्रतिरोध निस्त्राव में विनिर्दिष्ट अनुपालन की कोई भी अनुसूची सम्मिलित है), सिद्ध हो जाता है तथा यदि ऐसा मानक अथवा प्रतिषेध विषाक्त प्रदूषकों के अनुसार जिस पर बोर्ड विचार करें, सम्मतियों को पुनरीक्षित या उपान्तरित किया जायेगा तथा आवेदक को तदानुसार सूचित किया जाएगा ।

4. आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड के कर्मचारियों तथा या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर :--

(क) आवेदक के परिसर में जहां पर कोई निस्त्राव स्रोत स्थित हो या जिसमें इस सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों के अधीन किन्हीं अभिलेखों को रखने की अपेक्षा की गई हो, प्रवेश करने देगा ।
(ख) इस सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित अभिलेखों को देखने तथा युक्ति युक्त समयों पर उनकी नकल करने देगा ।

(ग) इस सम्मति में अपेक्षित किसी भी मानीटरिंग उपसकर अथवा मानटिरिंग रीति का युक्ति युक्त समय पर निरीक्षण करने देगा।

(घ) प्रदूषकों के किसी भी निस्सारण का युक्ति युक्त समयों पर नमूना लेने देगा।

5. आवेदक इस सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों का अनुपालन करने के लिए, उसके द्वारा प्रतिष्ठापित या प्रयुक्त सभी शोधन अथवा नियन्त्रण सुविधाओं अथवा पद्धतियों को सभी समयों पर अच्छी चालू हालत में रखेगा तथा उनका प्रचालन यथासम्भव दक्षतापूर्वक करेगा।

6. इस सम्मति का जारी किया जाना किसी वास्तविक अथवा वैयक्तिक सम्मति अधिकार अथवा कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा। यह न ही प्राइवेट सम्पति को क्षति पहुंचाने अथवा वैयक्तिक अधिकारों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने अथवा किसी केन्द्रीय, राज्यीय या स्थानीय विधियों अथवा विनियमों के अतिलंघन का प्राधिकार प्रदान करती है ।

7. यह सम्मति किसी प्राकृतिक जल सारणी में किन्हीं भौतिक संरचनाओं अथवा सुविधाओं का निर्माण करना अथवा किसी निर्माण कार्य को हाथ में लेना प्राधिकृत अथवा अनुमोदित नहीं करती।

8. इसके अनुसार निस्सारण पर लागू निर्दिष्ट निस्त्राव परिसीमाएं तथा अन्य प्रदूषण नियंत्रण विशिष्ट शर्तों में नीचे वर्णित किए गए हैं, स्वतः मानीटरिंग (monitoring) तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भी नीचे वर्णित हैं। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए आवेदक सभी रिपोर्टों की मूल प्रतियों की दो प्रतिलिपियां हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। निर्धारित की गई गोपनीय सामग्री के सिवाय ऐसी सभी रिपोर्टें हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी । ऐसी किसी भी रिपोर्ट में जान बूझ कर कोई मिथ्या कथन करने पर जैसे कि अधिनियम की धारा 42 में उपबन्धित है दाण्डिक शक्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी।

आ0—विशेष शर्तें:

1. प्रारम्भिक निस्त्राव परिसीमाएं.—इस सम्मति के प्रभावी होने की तिथि से.....तक की कालावधि के दौरान दहानों से किया जाने वाला निस्सारण आवेदक द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट किए अनसार परिसीमित तथा मानीटर किया जायेगा :—

(क) आवेदक द्वारा निम्नलिखित को तथा विनिर्दिष्ट रीति से परिसीमित तथा मानीटर किया जायेगा :—

निस्त्राव के लक्षण	मानीटरिंग की अपेक्षाएं			
	आवृति का माप †नमूने का प्रकार			
	औस्त		निस्सारण परिसीमाएं	
	Mg/l	Kg/day	Mg/l	अधिकतम Kg/day

*दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक

†ग्रैब/24 घण्टे मिलाकर

पूर्वोक्त के अतिरिक्त निस्सारण नियमानुसार परिसीमित और मानीटरिंग होगा :—

औसत Mg/l Kg/day	अधिकतम Mg/l Kg/day	*आवृत्ति माप। †नमूने का प्रकार

*दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक

†ग्रेव/24 घण्टे मिलाकर

इस उप खण्ड के प्रयोजनार्थ दैनिक निस्सारण औस्त कैलेण्डर माह के दौरान किये गये वजन में कुल निस्सारण को माह के उन दिनों जिसमें उत्पादन या वाणिज्यिक सुविधायें प्रदान थीं, की संख्या से भाग देकर निकाला जायेगा। इस उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए दैनिक अधिकतम निस्सारण से तात्पर्य किसी भी कैलेण्डर दिन के दौरान किये गये वजन में कुल निस्सारण से है ।

(ख) पी0 एच0 5.5 के कम तथा 9.0 से अधिक नहीं होगा।

2. अंतिम निस्त्राव परिसीमायें.—तिथि——————————से प्रारम्भ होकर इस सम्मति की समाप्ति की तिथि तक चलने वाली कालावधि के दौरान दहानों से किये जाने वाले निस्सारण को आवेदक द्वारा नीचे निर्दिष्ट किये गये अनुसार परिसीमित तथा मानीटरिंग) (self monitoring) किया जायेगा :—

(क) निम्नलिखित बातें आवेदक द्वारा यथा निर्दिष्ट सीमित तथा मानीटर की जायेगी :—

निस्त्राव लक्षण	मानीटरिंग अपेक्षायें निस्सारण औसत Mg/l Kg/day	मानीटरिंग अपेक्षायें आवृत्ति माप अधिकतम Mg/l Kg/day	†नमूना (प्रकार)

दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक

†ग्रैव/24 घण्टे

इसके अतिरिक्त दहानों को निम्नानुसार मानीटर किया जायेगा :—

(1) प्रवाह, तापमान तथा कुल ठोस पदार्थ—प्रतिमाह एक ग्रैव नमूने उद्ध्वं प्रवाह ग्राही जलशय के ऊपर अधिकतम निस्सारण तापमान भारतीय मानक संस्था के मानक के अनुसार 40° फा0 होगा।

(भा0 मा0 सं0 के अनुसार एक समान 40° फा0 तापमान प्रत्येक दहाने पर प्रति मास एक बार तापमान मानीटर किया जायेगा।

प्रत्येक दहाने पर इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए दैनिक निस्सारण औसत कैलेण्डर माह के दौरान किये गये वजन में कुल निस्सारण को माह के उन दिनों की संख्या से जब उत्पादन या वाणिज्यिक सुविधा प्रदान की गई हो, से भाग देकर निकाला जाता है। इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए दैनिक अधिकतम निस्सारण से अभिप्रेत किसी कैलेण्डर दिन के दौरान किया गया वजन में कुल निस्सारण ।

(ख) दहानों के लिए पी0 एच0 5.5 से कम या 9.0 से अधिक नहीं होगा। नमूने, मासिक ग्रैब नमूनों के रूप में लिए जाते हैं।

3. निस्त्राव सीमाओं के पालन की अनुसूची:—(क) आवेदक दहानों से किए जाने वाले निस्सारणों के लिए ऊपर निर्दिष्ट निस्त्राव सीमाओं का पालन निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार करेगा :—

(1) प्रगति रिपोर्ट।

(2) ------------------------तक अन्तिम आयोजनाओं का पूरा किया जाना।

(3) संविदा देना या वित्त व्यवस्था की अन्य वचन बद्धता।

(4) ------------------------तक से निर्माण का प्रारम्भ किया जाना।

(5) निर्माण की प्रगति की रिपोर्ट।

(6) ------------------------तक निर्माण का पूरा किया जाना।

(7) ------------------------तक प्रचालनात्मक स्तर की प्राप्ति।

(ख) आवेदक अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट या जहां ऊपर (क) में निर्दिष्ट किसी कार्यवाही का किसी निश्चित तिथि तक किया जाना अपेक्षित हो वहां उपर्युक्त प्रत्येक अनुसूचित तिथि तक के पालन या न पालन की लिखित सूचना में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी :—

(1) न पालन का संक्षिप्त वर्णन,

(2) और अधिक विलम्ब के बिना व्ययगत अनुसूचित अपेक्षा का पालन करने के लिए आवेदक द्वारा की गई या प्रस्तावित किसी भी कार्यवाही का वर्णन।

(3) ऐसे किन्हीं भी कारणों का वर्णन जो न पालन को स्पष्ट या कम करते हों, तथा

(4) उस तिथि का अनुमान जब तक आवेदक व्यपगत अनुसूचित अपेक्षा का पालन करे देगा तथा ऐसी संभावना का निर्धारण कि आवेदक आगामी अनुसूचित अपेक्षा की पूर्ति समय पर करेगा।

4. मानीटरिंग की आधार सामग्री का संकलन—(क) ऊपर निर्दिष्ट मानीटरिंग अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु लिए गये नमूने तथा माप मानीटरिंग निस्सारण की मात्रा तथा स्वरुप का प्रतिनिधान करेंगे।

(ख) प्रदूषकों के विश्लेषण के लिए परीक्षण प्रक्रिया को स्थापित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रख्यापन को बाद की ऊपर निर्दिष्ट मानीटरिंग अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लायी गई सभी प्रतिचयन तथा वैश्लैषिक रीतियां ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होंगी/जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये तब तक प्रतिचयन तथा वैश्लैषिक रितियां भारतीय मानक विशिष्टयों के नवीनतम संस्करण के अनुरुप होगी और जहां वह निर्दिष्ट न हो वहां स्टैण्डर्ड मैथड्स फार दी इक्जामिनेशन आफ वाटर एण्ड वेस्ट वाटर 18वां संस्करण अमेरिकन पब्लिक हैल्थ एसोसिएशन, न्यूयार्क, यू0 एस0 ए0 में दिए गये मार्गदर्शी सिद्धान्त का उपयोग किया जायेगा।

(ग) आवेदक ऊपर निर्दिष्ट मासिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित स्थानों से नमूने तथा माप लेगा :—

नमूने लेने के स्थान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए—
(1) अपशिष्ट के दहाने, (2) नदी के या झील के प्रवाह के संगम से 100 मीटर।

5. मानीटरिंग गतिविधियों का अभिलेखन तथा परिणाम :—

(क) आवेदक इस सम्मति द्वारा अपेक्षित मानीटरिंग गतिविधियों से उद्भूत सभी जानकारी को अभिलिखित करेगा तथा बनाये रखेगा।

(ख) आवेदक इस सम्मति की अपेक्षाओं के अनुसरण में लिए गये प्रत्येक माप या नमूने के संबन्धों में निम्नलिखित जानकारी अभिलिखित करेगा :—

(1) नमूना लेने की तिथि, ठीक स्थान तथा समय,
(2) वे तिथियां जब विश्लेषण किये गये,
(3) विश्लेषण किसने किया,
(4) उपयोग में लायी गई विश्लेषिक तकनीक या पद्धतियां, तथा
(5) सभी अपेक्षित विश्लेषणों के परिणाम।

(ग) यदि आवेदक इस सम्मति का अपेक्षानुसार किसी प्रदूषक को बार-बार मानीटर करें तो यह गणना तथा मूल्यांकन रिपोर्ट में ऐसी मानीटरिंग के परिणाम सम्मिलित करेगा जिसकी अपेक्षा बोर्ड द्वारा विहित निस्सारण मानीटरिंग रिर्पोट में की गई हो। ऐसी बढ़ी हुई गति मानीटरिंग रिपोर्ट फार्म में दर्शाई जायेगी।

(घ) आवेदक कम से कम 3 वर्ष तक मानीटरिंग गतिविधियों तथा परिणामों के सभी अभिलेख करेगा जिनमें शोधन के स्थान यंत्र समुच्चय के अनुरक्षण तथा निरन्तर मानीटरिंग/यंत्रीकरण से उद्भूत पट्टी चार्ट के सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे। आवेदक द्वारा किए गये प्रदूषकों के निस्सारण सम्बन्धी किसी अनिर्णयत मुकदमें के दौरान या केन्द्रीय या राज्य बोर्ड द्वारा अनुरोध किये जाने पर अभिलेख रखने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

6. मानीटरिंग परिणामों की रिपोर्ट देना.—(क) इस सम्मति द्वारा अपेक्षित मानीटरिंग सम्बन्धी जानकारी का संक्षेप तैयार किया जायेगा और उसकी सूचना निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट फार्म में विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर करके बोर्ड के कार्यालय को निम्नलिखित पते पर भेजी जायेगी :—

हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड यू0 एस0 क्लब, शिमला–171001 (पिन कोड़ नं0–171001)।

(ख) प्रस्तुत की गई प्रत्येक निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट पर निम्नलिखित हस्ताक्षर होंगे :—

(1) यदि नियम द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जो कम से कम उपाध्यक्ष के स्तर का हो या उस द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि

द्वारा यदि ऐसा प्रतिनिधि उस सुविधा के जिससे निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट मे वर्णित निस्सारण निकलता हो, सम्पूर्ण प्रचालन के लिए उत्तरदायी हो,

(2) यदि किसी सांझेदारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो किसी सामान्य सांझेदार द्वारा,

(3) यदि एकल स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो स्वामी द्वारा,

(4) यदि किसी नगरपालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार या अन्य लोक उद्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो प्रधान कार्यपालक अधिकारी, पद विन्यास से निर्वाचित अधिकारी, कमान आफिसर या सम्यूम रूप से प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा।

(ग) निस्सारण मानीटरिंग फार्म पर प्रस्तुत सभी जानाकारी पिछले तीन कैलेन्डर महीनों के दौरान किये गये मापों तथा प्रतिचयन (सैंपलिंग) पर आधारित होंगे। प्रथम निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट निर्गमन से 60 दिन बाद समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रस्तुत की जायेगी। उसके पश्चात् रिपोर्ट भेजने की अवधि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को समाप्त होगी। आवेदक प्रत्येक पूर्ण हो चुकी अवधि के पश्चात् जाने वाले माह की अधिक से अधिक 28 तिथि तक निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

7. हानिकारक मात्रा में तेल तथा परिसंकटमय पदार्थों के निस्सारण की परिसीमा.—आवेदक विनियमों में हानिकारक रुप परिभाषित मात्रा में तेल का निस्सारण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक बोर्ड द्वारा प्रख्यापित विनियमों में हानिकारक रुप में परिभाषित मात्रा में परिसंकटमय पदार्थों का निस्सारण प्राकृतिक जल सारणियों में नहीं करेगा। इस सम्मति में दी गई किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि संस्था के विरूद्ध कोई वैधिक कार्यवाही दायर नहीं की जायेगी और न ही आवेदक खण्डों के अधीन उसके जो दायित्व तथा उतरादयित्व हो याहो सकते हों या जो शक्तियां अधिरोपित की गई हो या की जा सकती हो, उनसे मुक्त होगा।

8. दिखाई देने वाले बहते हुए ठोस पदार्थों तथा फेन की परिसीमा इस सम्मति की जारी किये जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर उसके समाप्ति की तिथि तक की कालावधि के दौरान आवेदक बढ़ते हुए ठोस पदार्थों या दृष्या फेन का निस्सारण नहीं करेगा।

9. संग्रहीन ठोस पदार्थों का निपटारा.—(क) अन्तगृहीत जल शोधन:—ठोस पदार्थ, गोच (स्लजेज), कूड़ा, कर्कट, रेत (सिल्ट) या अन्य प्रदूषक जो आवेदक द्वारा उपयोग किये जाने के पूर्व अन्तगृहीत या प्रदाय जल से पृथक किये गये हों या उसके शोधन के कारण उत्पन्न हुए हों, की व्यवस्था ऐसी रीति से की जायेगी जिससे कि ऐसी सामग्रियों से कोई प्रदूषक ऐसे किसी जल में प्रवेश न कर पायें। अन्तगृहीत जल के छानने या उसके शोधन के फलस्वरूप संगृहीत या पकड़ी गई कोई जीवित मछली कवच मछली, या अन्य प्राणी को जलशाय में वापिस डाल दिया जायेगा।

(ख) अपशिष्ट जल शोधन.—अपशिष्ट जल के शोधन या नियंत्रण के कारण अलग किए गय या उद्भूत हुए ठोस पदार्थ (सालिडस) कोच (स्लजेज), निस्यन्दक (फिल्टर), प्रतिशोधन (बैकवाश) या अन्य प्रदूषकों की व्यवस्था ऐसी रीति से की जायेगी जिससे कि ऐसी सामग्रियों से कोई प्रदूषक प्राकृतिक जल में प्रवेश न कर पाये।

10. निस्त्राव परिसीमाओं का अपालन:--(क) यदि किसी कारण से, आवेदन इस सम्मति में विनिर्दिष्ट किसी दैनिक अधिकतम निस्त्राव परिसीमाओं का पालन नहीं करता है या पालन करने में असमर्थ है तो आवेदक इसकी सूचना सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को या उसके समनुशिती को तत्काल फोन सं0 शिमला 5469 पर देगा और ऐसी सूचना पांच दिन के भीतर लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को देगा :--

(क) पालन न करने का कारण,

(ख) पालन न करते हुए किए जा रहे निस्सारण का विवरण तथा उससे अन्तर्गृहीत जल पर उसका प्रभाव का वर्णन,

(ग) पूर्वानुमानित समय जब तक अपालन की स्थिति बनी रहने की प्रत्याशा है या यदि स्थिति ठीक कर ली गई हो तो अपालन की कालावधि,

(घ) पालन न करते निस्त्राव परिसीमा के निस्सारण को कम करने तथा निरस्त करने के लिए आवेदक द्वारा किए गए उपाय, तथा

(ङ) अपालन की स्थिति के आवर्तन को रोकने के लिए आवेदक द्वारा किए जाने वाले उपाय।

(च) आवेदक इस सम्मति में निर्दिष्ट किसी निस्त्राव परिसीमा के अपालन से उद्भूत होने वाले और प्राकृतिक जलाशय पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा जिसमें ऐसी त्वरित या अतिरिक्त मानीटरिंग भी सम्मिलित है। जो निस्त्राव परिसीमा का पालन करते हुए किए जा रहे निस्सारण के स्वरूप तथा प्रभाव को अवधारित करने के लिए आवश्यक हो।

(ग) इस सम्मति की कोई भी बात आवेदक द्वारा अपालन के कारण उस पर अधिरोपित सिविल या दाण्डिक शक्तियों से मुक्त नहीं करती भले ही ऐसा अपालन उसके नियंत्रण से परे कारणों से अर्थात् उपकरण के बिगड़ जाने विद्युत, शक्ति के बन्द हो जाने, दुर्घटना या प्राकृतिक संकट जैसे कारणों से हुआ हो।

11. वैच निस्सारण की परिसीमा।

विशेष शर्तें.--

12. विद्युत शक्ति के बन्द हो जाने पर व्यवस्था.--आवेदक या तो--

(क) ----------तिथि तक सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप से प्रमाणित करेगा कि आवेदक ने सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों का पालन करने के लिए एक वैकल्पिक विद्युत शक्ति स्रोत की स्थापना या व्यवस्था कर ली है जो आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जा रही सभी सुविधाओं के प्रचालन के लिए प्रयाप्त है,

(ख) इस सम्मति के प्रभावी होने की तिथि से अधिक से अधिक 30 दिन के भीतर सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में यह प्रमाणित करेगा कि इस सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों का पालन करने के लिए आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जा रही किन्ही भी सुविधाओं को विद्युत शक्ति की पूर्ति के एक या अधिक

प्राथमिक स्रोतों के कम हो जाने, हानि हो जाने या बिगड़ जाने के पश्चात आवेदक इस सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों का पालन के लिए उत्पादन तथा/या सभी निस्सारणों को बन्द, कम या अन्य प्रकार से नियंत्रित करेगा।

13. शोधन सुविधाओं के उप-निकास का प्रतिशोध.—इस सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों का पालन करने के लिए आवेदक द्वारा उपयोग में लायी जा रही सुविधाओं से लिए जाने वाले किसी निस्सारण का परिवर्तन या उप-निकास निम्नलिखित स्थितियों को छोड़ अन्यथा निर्दिष्ट है:—

(क) जहां ऐसा करना प्राणहानि या सम्पत्ति को होने वाली गम्भीर क्षति को रोकने के लिए अपरिहार्य हो, या

(ख) जहां इस सम्मति के उपबन्धों तथा शर्तों के पालन के लिए आवश्यक किसी सुविधा को अत्याधिक बरसाती जल निकास या अपवाह (रनआफ) से क्षति पहुंचती हो। आवेदक अपालन की सूचना देने की ऊपर निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक ऐसे परिवर्तन या उप-निकास की लिखित रूप में सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को तत्काल देगा।

14. अधिप्लावन निवारण तथा संशोधन योजना (Spill prevention and containment plan).—इस सम्मति के प्रभावी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर आवेदक इस सम्मति के अन्तर्गत आने वाली सुविधा के लिए एक अधिप्लावन निवारण संशोधन तथा प्रत्युपाय योजना तैयार करेगा तथा सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसी योजना में अधिप्लावनों तथा तेल और परिसंकटमय पदार्थों के अनाधिकृत निस्सारण के निवारण से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी व प्रक्रिया सम्मिलित होंगे।

(क) सुविधा का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों, समुचित राज्य तथा केन्द्रीय प्राधिकारियों को तत्काल अधिसूचित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रिपोर्ट करने की प्रणाली का विवरण,

(ख) अधिप्लावनों तथा अनाधिकृत निस्सारणों के निवारण, संशोधन (containment) या शोधन के उपकरण अथवा सुविधाएं (जिसमें समग्र सुविधाएं सम्मिलित हैं) का विवरण,

(ग) सुविधा में प्रयुक्त, संशोधित अथवा संगृहीत समस्त तेल तथा परिसंकटमय सामग्रियों की एक सूची, जिसमें परिसर में रखी जाने वाली सामग्री की सामान्य मात्रा भी सम्मिलित है,

(घ) इस सम्मति के प्रभावी होने की तिथि को पूर्ववर्ती 36 महीनों की कालावधि में घटित किन्ही भी अधिप्लावनों अथवा अनाधिकृत निस्सारणों तथा आवेदक द्वारा अधिप्लावनों अथवा अनाधिकृत निस्सारणों के पुनः घटित होने की सम्भावना को निवारण अथवा कम करने के लिए अनुवर्ती उपायों का एक संक्षिप्त विवरण, और

(ङ) अतिरिक्त उपकर अथवा सुविधाओं के लिये एक कार्यान्वयन अनुसूची जो उपर्युक्त उप-पैरा (ख) के लिए अपेक्षित होती है किन्तु जो अभी एक प्रवर्तनशील नहीं है।

15. आन्तरिक निस्त्राव की अपेक्षाएं.—यह सम्मति तथा निस्सारण के प्राधिकरण की मध्य रात्रि को समाप्त हो जायेगी । आवेदक समाप्ति की तिथि के बाद निस्सारण नहीं करेगा । आवेदक बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी फार्म तथा फीस समाप्ति की उपयुक्त तिथि के 180 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा ।

सदस्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण
नियंत्रण बोर्ड, शिमला के प्राधिकार से ।

फार्म—XIII

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन सम्मति के लिए आवेदन पत्र का फार्म—

दिनांक----------

प्रेषक:

सेवा में,

सदस्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा
नियंत्रण बोर्ड, य0एस0 क्लब, शिमला-171001.

महोदय,

मैं/हम (1)----------के स्वामित्व की भूमि परिसर में से ----------तक की कालावधि के लिए गन्दे पानी/उद्योग निस्त्राव के निस्सारण के (2) लिए किसी नये या परिवर्तित निकास का उपयोग करने/गन्दे पानी/उद्योग निस्त्राव का नया निस्सारण आरम्भ करने के लिए या गन्दे पानी/उद्योग निस्त्राव का निस्सारण करना जारी रखने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 25/धारा 26 के अधीन सम्मति के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं:—

(क) निकास नालियों (निकासी मल सुरंग/मल शोधन संकर्मों) से होकर गन्दा पानी/डाबर (सुलेज),

(ख) निकास नालियों (निकासी मल सुरंग/मल शोधन संकर्मों, से होकर उद्योग निस्त्राव,

(ग) निम्नलिखित में ठोस शिष्ठ (3)----------

(1) सरिता----------नदी या----------

(2) सिचाई के लिए भूमि पर जिसका सर्वेक्षण नम्बर----------है तथा जो सरिता/नदी के समीपस्थ/----------की दूरी पर है, या

(3) झील/तालाब में जो सरिता/नदी के समीपस्थ/----------की ----------दूरी पर है, या

(4) सर्वेक्षण नम्बर----------के अन्तर्भूमि स्तर में जो---------- सरिता/नदी के समीपस्थ/----------की दूरी पर है खुले अन्त श्रवण के लिए सीधी भूमि पर, या

(5) ----------के नाम से ज्ञात ज्वारीय जल या ज्वार नदी सुखी जल, या

(6) ----------के रूप में दिखाये गये तट के साथ साथ/से दूर समुद्र में

2. उपबन्ध, परिशिष्ट, अन्य विशिष्टियां और रेखांक तीन तीन प्रतियों में इससे संलग्न है।

3. मैं/हम आगे यह घोषित करता हूं/करते हैं/कि उपबन्ध, परिशिष्ट तथा रेखाओं में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सही है।

4. मैं/हम एतद्द्वारा निवेदन करता हूं/करते हैं कि निस्सारण के स्थल या मात्रा या स्वरूप में परिवर्तन होने की दशा में सम्मति के लिए नया आवेदन किया जायेगा तथा जब तक ऐसी सम्मति नहीं दी जाती तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5. मैं/हम एतद्द्वारा सहमत होता हूं/होते हैं कि मैं/हम सम्मति के नवीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड से आवेदन निकास/निस्सारण के लिए सम्मति प्रदत्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक मास पूर्व प्रस्तुत करूंगा/करेंगे यदि उसे तत्पश्चात् जारी रखा जाना है।

6. मैं/हम राज्य बोर्ड द्वारा मांग की जाने पर एक माह के भीतर कोई भी अन्य जानकारी प्रस्तुत करने का वचन देता हूं/देते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर----------

आवेदक का नाम----------

आवेदक का पता----------

संलग्न/----------

निकास/विसर्जन

फार्म—XIII का उपबन्ध
विद्यमान/नया/परिवर्तित

टिप्पणी:—(1) जो आवेदक जान बूझकर गलत जानकारी देगा या उससे संबन्धित कोई जानकारी छिपायेगा वह अधिनियम के अधीन दण्ड का भोगी होगा।

(2) इस उपबन्ध को भरते समय जिस आवेदक का किन्हीं मदों से कोई संबन्ध नहीं है तो वह संगत मद के सामने सम्बन्धित नहीं लिखेगा।

(1) आवेदक का पूरा नाम तथा पता————————————————————————————

(टैलीफोन नं0————————————
तार का पता————————————)

(2) भूमि/परिसर/संस्था/कारखाना। उद्योग/स्थानीय निकाय/का पूरा नाम तथा पता ————————————————————————

(टैलीफोन नम्बर————————————
तार का पता————————————)

(3) उस भूमि/परिसर का जिसके लिए आवेदन किया गया है, राजस्व/नगर सर्वेक्षण नम्बर तथा जिले/तालुके और ग्राम का नाम जिला दीजिए। ————————————

नगर————————————

ग्राम————————————

नगर सर्वेक्षण सं0————————————

हैक्टेयर में क्षेत्रफल————————————

राजस्व सर्वेक्षण नं0————————————

हैक्टेयर में क्षेत्रफल————————————

(4) वह मास तथा वर्ष लिखिए जिसमें भूमि/परिसर संस्था/कारखाना।उद्योग को वास्तव में चालू किया गया था या चालू किया जाना प्रस्तावित है या वह मास तथा वर्ष लिखिए जबसे

स्थानीय निकाय कार्य कर रहा है।

(5) उस सिविल/सैनिक/प्रतिरक्षा/औद्योगिक संपदा का नाम लिखिए जिसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन आवेदक की भूमि/परिसर स्थित है।

कलैक्टर कार्यालय----------
निगम----------
नगरपालिका----------
ग्राम पंचायत----------
छावनी----------
पेरा ट्रस्ट----------
प्रतिरक्षा विभाग----------
राज्य सरकार----------
निषिद्ध क्षेत्र----------

(6) (क) यह लिखिए कि क्या भूमि/परिसर/संस्थान/कारखाना/उद्योग निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है हां/नहीं

(ख) यदि किया गया हो तो उस प्राधिकारी का नाम दीजिए तथा उस आदेश की प्रमाणित प्रति दीजिए जिसके अधीन वह क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।

(7) क्या उद्योग/कारखाना जिसके लिए आवेदन किया गया है रविवार/अवकाश के दिन बन्द होता है हां/नहीं

(8) उद्योग/कारखाने का प्रति वर्ष का कार्य का मौसम लिखिये

पूर्ण वर्ष
---------- से ----------तक
---------- से ----------तक
---------- से ----------तक

(9) (क) कारखाने में काम करने वाले कर्मकारों की संख्या

प्रतिवर्ष			
पारी क0—1 घण्टे	पारी क0—2 घण्टे	पारी क0—3 घण्टे	सामान्य पारी घण्टे

(ख) परिसरों में रहने वाले कर्मकारों की संख्या

(10) (केवल स्थानीय निकायों के लिए)—

(क) वर्तमान जनसंख्या

(ख) कितनी जनसंख्या के लिए नियमित मल अपवहन की सुविधा उपलब्ध है

(ग) कितनी जनसंख्या के लिए मल सफाई शौचालय उपलब्ध है।

(घ) कितनी जनसंख्या के लिए मल गर्त (सैप्टिकटैंक) (पिट्स) सुविधाएं उपलब्ध हैं।

11. (क) कच्चे माल जैसे धातुओं, मिश्र धातुओं, रसायनों, तेलों, ईन्धनों आदि का प्रतिमास (मीटरिक टन में) उपयोग दर्शाने वाली सूची दीजिए:—

धातु तथा मिश्रित धातु				नाम/भार
रसायन	अकार्बनिक		रंजक	नाम/भार
	कार्बनिक		कीटनाशी	
तेल तथा ग्रीज				नाम/भार
ईन्धन	(क) लकड़ी			नाम/भार
	(ख) कोयला			नाम/भार
	(ग) गैस			नाम/भार
	(घ) तेल			नाम/भार
	(ङ) अन्य			नाम/भार

(ख) प्रतिमाह निर्मित तथा उप-उत्पादकों के नाम की सूची दीजिए (मी0ट0 में)

उत्पादकों का क्र0 सं0 नाम मात्रा प्रति माह मीटिरिक टन में।

(ग) संभाव्य अन्यवर्ती उत्पादों की सूची दीजिए

उपयोग

(घरेलू/औद्योगिक/कृषि अन्य)

(12) उपयोग में लाए जाने वाले जल की दैनिक मात्रा (लिटर में) दीजिए

(13) (क) जिस भूमि/परिसर के लिए आवेदन किया गया है उसको उद्भूत होने वाले निस्त्रावों की प्रति घण्टा और प्रति दिन अधिकतम मात्रा—

(लिटरों में) (प्रति घण्टा अधिकतम/ प्रति दिन अधिकतम)

(क) घरेलु
(ख) औद्योगिक
(ग) कृषि
(घ) अन्य उपयोग
(ङ) निस्त्राव की कुल मात्रा

(ख) यह बताइये कि दर तथा मात्रा से माप किस प्रकार लिए जाते हैं।

(14) यह बताइये कि क्या बरसाती पानी की नालियां औद्योगिक/घरेलू निस्त्रावों से पृथक रखी गई हैं — हां/नहीं

(15) (क) क्या घरेलू निस्त्राव को औद्योगिक निस्त्राव में मिलने दिया जाता है — हां/नहीं

(ख) यदि हां तो उसका अनुपात बताइये — घरेलू/औद्योगिक

(16) (क) क्या औद्योगिक या घरेलू निस्त्राव का कोई शोधन किया जाता है या मिश्रित निस्त्राव का कोई शोधन किया जाता है — हां/नहीं

यदि उत्तर हां में हो, तो शोधन की प्रक्रिया (पृथक से) संक्षेप में बताइए

(ख) क्या शोधन के बिना या शोधन के पश्चात् निकलने वाली मात्रा को किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है — हां/नहीं

(ग) यदि अनुमोदित किया जाता है तो प्राधिकार प्रस्तुत कीजिए (दो प्रमाणित प्रतियां भेजी जाएं)

(घ) क्या किसी दुकान/दुकानों से निकलने वाला निस्त्राव विषैला है? यदि है, तो इसका निस्त्राव का परिणाम क्या है?

(17) क्या निम्नलिखित के निपटारे के लिए कोई पहले से की गई/प्रस्तावित व्यवस्थाएं हैं :—

	पहले से गई की	प्रस्थावित है।
(क) सार्वजनिक भूमिगम मल नाली (सीवर) में घरेलू निस्त्राव	हां/नहीं	हां/नहीं
(ख) सार्वजनिक भूमि मल नाली (सीवर) में औद्योगिक निस्त्राव	हां/नहीं	हां/नहीं

(ग) मल नाली (सीवर) जिस लोक प्राधिकारी की हो, उसका नाम दीजिए।

(18) क्या निम्नलिखित से सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था है :—

(क) सिंचाई के लिए स्थनीय घरेलू निस्त्राव	हां/नहीं	हां/नहीं
(ख) सिंचाई के लिए स्थलीय औद्योगिक निस्त्राव	हां/नहीं	हां/नहीं
(ग) भूमिगत स्तर में घरेलू निस्त्राव	हां/नहीं	हां/नहीं

(घ) उपर्युक्त (क) के लिये प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल हैक्टेयरों में लिखिए।

(ङ) उपर्युक्त (ख) के लिये प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल हैक्टेयरों में लिखिए।

(19) नीचे दिये उल्लिखित स्थानों के लिए व्यवस्थित निस्त्राव के अपबहन की मात्रा लिटरों में दीजिए — घरेलू/औद्योगिक/मिश्रित

(1) सरिता/नदी
(2) सिचाई के लिए भूमि पर
(3) रिसन के लिए भूमि पर
(4) झील/तालाब
(5) ज्वारीय जल
(6) ज्वरीय जल
(7) खुला समुद्र

	पहले से किया गया	किये जाने के लिए प्रस्तावित है
(20) क्या सरिता या ज्वारीय हालत की प्रतिकूल अवस्था में निस्त्रावों के संग्रहण के लिए टैंकों पश्चाजल (Lagoons) के बराबर करने या भरने के लिए कोई व्यवस्था है ।		

(1) घरेलू निस्त्राव
(2) औद्योगिक निस्त्राव
(3) मिश्रित निस्त्राव

(21) यदि भूमियों पर पम्पन का विचार करना पड़े तो क्या प्रर्याप्त भूमि उपलब्ध है/उपलब्ध की जा सकती है । हां/नहीं

(22) (क) निम्नलिखित के सम्बन्ध में घरेलू/औद्योगिक/मिश्रित निस्त्रावों की संरचना में ब्योरे दीजिए :

शोधन के पूर्व निस्त्राव			शोधन के पश्चात् निस्त्राव		
अधिकतम निस्सारण पर	न्यूतनम निस्सारण पर	औस्त निस्सारण पर	अधिकतम निस्सारण पर	न्यूनतम निस्सारण पर	औस्त निस्सारण पर
1	2	3	4	5	6

(1) पी० एच०
(2) वर्ण यूनिट
(3) तापमान से
(4) निलम्बित ठोस पदार्थ
(5) कुल मि०ग्रा०प्रति लिटर
(क) स्थिर मि०ग्रा० प्रति लिटर
(ख) वाष्पशील मि०ग्रा०प्रति लिटर
(ग) घुला हुआ ठोस पदार्थ मि० ग्रा० प्रति लिटर

1	2	3	4	5	6

(क) कुल मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(ख) स्थिर मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(ग) वाष्पशील मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(घ) कुल वाष्पशील ठोस पदार्थ मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(7) अमोनिकल नाईट्रेट्स (मि0ग्राम प्रति लिटर) एन0
(8) नाइट (मि0ग्रा0 प्रति लिटर) एन0
(9) धुली हुई आक्सीजन नि0ग्रा0 प्रति लिटर
(10) बी0ओ0डी-5 दिन 20 डिग्री से0 मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(11) सी0ओ0डी0 मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(12) तेल तथा ग्रीज मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(13) क्लोराइड मि0ग्रा0 प्रति लिटर (सी0आई0 के रूप में)
(14) फौसफेट्स (पी0) मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(15) फैनोलिक योगिक मि0ग्रा0 प्रति लिटर.
(16) साइनाइड (सी0एन0 के रूप में) मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(17) सल्फाइड (एस0 के रूप में) मि0ग्रा0 प्रति लिटर
(18) सल्फेट (एस0 ओ0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(19) कीटनाशी औषधियां मि0 ग्रा0 प्रतिलिटर
(20) कुल अवशिष्ट क्लौरीन (सी0 एल्ट के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(21) फ्लोराईड एफ0 के रूप में कि0 ग्राम प्रति लिटर
(22) बोरीन (बी0 के रुप में) कि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(23) अर्सनिक (ए0 एस0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(24) बेरियम (बी0 ए0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(25) प्रतिशत सोडियम
(26) कडमियम् (सी0 डी0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(27) तांबा (सी 0 यू0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(28) सीसा (पी0 बी0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रतिलिटर
(29) क्रोमियम (क) सी0 आर0 के रूप में) मी0 ग्रा0 प्रति लिटर
(ख) टसंयोजकता (ड्रैक्सा वैलेन्सी) (सी0 आर0 के रुप में) मि0 ग्रा0 प्रतिलिटर
(30) पारद (एच0 जी0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(31) निकल (एन0 आई0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(32) सिलोनियम (एस0 ई0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(33) रजत (ए0 जी0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(34) जरुल (जैड0 एन0 के रूप में) मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(35) कोई अन्य धातुएं मि0 ग्रा0 प्रति लिटर
(36) कैल्शियम क्लोरोफार्म तत्व
(37) नाशि कीटमार औषधियां मि0 ग्रा0 प्रति लिटर

1	2	3	4	5	6

(38) कालोईस्पी जीव
स0 पी0 एन0 प्रति 100 मी0 लि (मासिक औस्त)
(39) आविषालू बाट को के लिए वायो ऐसे टी0 एल0 50/96 घण्टे

टिप्पणी:–(1) किसी सक्षम प्रयोगशाला द्वारा लिए गए बानगी स्वरूप नमूनों के विश्लेषण के रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत कीजिए।

(2) ऊपर उल्लिखित पैरा भीतरों के निर्धारित के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित निर्धारित पद्धतियों का अनुसरण किया जायेगा।

(22) (ख) क्या निसत्राव अविषालु है हां/नहीं
(ग) यह बताईए कि क्या औद्योगिक निस्त्राव––
(1) दुगन्ध युक्त है हांन/हीं
(2) क्षोभ कर और/या हानिकारक है हां/नहीं
(3) संक्षारक है हां/नहीं
(4) रंग युक्त है हां/नहीं
(घ) क्या किसी समय उसमें अचानक कोई 10 डिग्री सैंटीग्रैंट से अधिक से अधिक तापमान हो जाता है।

(23) (क) क्या अवशिष्ट जल का निम्नलिखित परीक्षण करने के लिए आवेदक के पास सुविधायें उपलब्ध है :––

	वर्तमान	प्रस्तावित
(1) भौतिक	हां/नहीं	हां/नहीं
(2) रासायनिक	हां/नहीं	हां/नहीं
(3) जीवाणुवीय	हां/नहीं,	हां/नहीं
(4) अविषालुता पारक	हां/नहीं	हां/नहीं

(ख) यदि हां तो उपस्कर का ब्योरा दीजिए

(24) जिस भूमि/परिसर आदि के लिए आवेदन किया गया है क्या वह खुले हैं?

अत्यन्त प्रदूषण द्रव्य----------
अविषालु कार्बनिक आकार्बनिक-------
सूक्ष्म जैविकीय----------
जिनमें अन्तर्विष्ट ----------
---------- है।

(क) शीतलन टैंक
(ख) विश्रण टैंक

(ग) मिश्रण तालाब
(घ) मिश्रण कुएँ हैं

(25) ठोस अविशिष्टों का ब्यौरा दीजिए:–विवरण मात्रा

		संग्रहण की पद्धति	अपवहन की पद्धति
मौसमी अवशिष्ट			
अधिप्लावन			
उच्छिष्ट सामग्री			

हस्ताक्षर ------------
की ओर से----------
आवेदक का नाम----------
और पता------------
फर्म का नाम तथा पता----

संलग्नक

निस्त्रावों के प्रवाह का विवरण

फार्म-XIII और अनुबन्ध को भरने के लिए स्पष्टयात्मक टिप्पणी--

टिप्पणी:–केवल उन मदों के लिए दी गई है जिनके लिए स्पष्टीकरण वांछीय समझा गया है। अन्य मद स्वत: स्पष्ट हैं।

फार्म-XIII

(1) यहां भूमि/परिसर के स्वामी का नाम लिखिए यदि वह सम्बन्धित उद्योग या कारखाने से भिन्न है। यदि भूमि/परिसर कारखाना/उद्योग की है तो स्वंय लिखिए।

(2) यहां नदी/सरिता/ज्वारीय जल/समुद्र, जो भी सम्बन्धित है का स्थानीय नाम लिखिये।

"निकास" से अभिप्राय ऐसे निस्त्राव के विसर्जन के लिए व्यवस्था है जिसके लिए सम्मति मांगी है।

"विसर्जन" से अभिप्राय वह निस्त्राव है जो निकासन में से निकल रहा है।

"विद्यमान" से अभिप्राय: वह निकास है जो सम्मति के लिए आवेदन करने के समय कार्य कर रहा है।

"नए" से अभिप्राय वह निकास है जो भविष्य में काम में लाया जायेगा।

"परिवर्तन" से अभिप्राय है जो विसर्जन की व्यवस्था और/या स्थल, आदि में परिवर्तन के कारण उपान्तरित किया गया है।

मद–1. यहां उस व्यक्ति का नाम दीजिये जो संस्था,/उद्योग/कारखाना/स्थानीय निकास आदि के द्वारा उनके विधिक कामकाज को करने के लिए प्राधिकृत है।

मद–2. यहां संस्था/कारखाना/उद्योग आदि का पंजीकृत नाम दीजिये जिसके अधीन कारोबार चलाया जाता है।

मद–5. यहां सम्बन्धित संस्था का नाम (जैसे कि लोक उद्यम ब्यूरो आदि) लिखिए, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में कारखाना/उद्योग आदि स्थापित किया गया है।

मद–6. केवल उन क्षेत्रों को लागू है जो निषिद्ध क्षेत्र हैं, जैसे आर्डनैन्स कारखाना, टकसाल आदि।

मद–13. (ख) निस्त्राव की प्रति घंटा/दैनिक अधिकतम मात्रा के माप की पद्धति लिखिये जैसे कि प्रवाह मापी, बेन्टुरी मापी, नीच, सम्प मेजरमैण्ट, या लगभग अनुमानित आदि।

मद–16. (क) यदि निस्त्राव का शोधन किया जाता है तो पृथकतः शोधन को पद्धति तथा शोधन प्रक्रिया का क्रमदर्शी आरेखण दीजिए।

मद–16. (ख) यहां "हां" लिखिये यदि किसी अन्य प्राधिकारी जैसे कि स्थानीय निकाय या सरकारी विभाग ने पहले ही शोधन करने या उसके बिना निस्त्राव के विसर्जन को कारखाना/उद्योग की स्थापना के समय अनुमोदित किया है।

मद–19. यहां विभिन्न प्रकार के निस्त्राव की जैसे घरेलू/औद्योगिक या मिश्रित आदि की मात्रा दीजिए, जो कि सरिता/नदी, भूमियों या समुद्र आदि में, जो भी लागू हो, जाने देने के लिए प्रस्थापित है।

मद–22. (क) जो विश्लेषण दिया जाना है, उसके अन्तर्गत उतने पैरामीटर आएंगे जितने कि निस्त्राव में पाए जाने की आशा है, यदि कुछ पैरा मीटर पाये जाने की आशा नहीं है तो लिखिए कि लागू नहीं होते। यदि मदों के अधीन दिए गए पैरामीटरों से भिन्न किन्हीं पैरामीटरों के होने की आशा है तो उन्हें अन्त में लिखिए। विश्लेषण घरेलू/औद्योगिक और मिश्रित निस्त्राव के लिए अलग दिया जायेगा।

मद–22. (ख) यहां विषाक्तता से अभिप्राय है कि मानक पद्धतियों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार मछली पर जैव आमापन अध्ययन से स्थापित है।

मद–24. यह मद अत्यन्त प्रदूषणकारी पदार्थों पर लागू होने के लिए अभिप्रेत है, जो कि आम तौर पर निस्त्रावों में नहीं पाए जाते हैं, किन्तु जिन परिसरों में कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की जाती है और जो अकस्मात निस्त्राव में बड़ी मात्रा में मिल सकते हैं।

आदेशानुसार,
बी० सी० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।